page(1)

R.M.M. Law-College
Saharsa.
Amrendra Kumar Trivedi
Part-Time-Lecturer.

Sub Evidence

न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। जिसे न्यायालय अवेक्षा करेगा।

न्यायालय के समक्ष जितने सुसंगत विवाद्यक तथ्य होते हैं मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से सुलझाए जा सकते हैं। जिन तथ्यों के बारे में पक्षकारों की स्वीकृति हो जाती है। और जिन तथ्यों की न्यायिक कर सकता है। उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह अध्याय इन्हीं दो प्रकार के तथ्यों से सम्बन्धित है।

यह धारा केवल इतना कहती है कि किसी ऐसे तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती जिसको न्यायालय न्यायिक अवेक्षा कर सकता है। अगली धारा उन तथ्यों का वर्णन करती है जिनका न्यायिक अवेक्षा न्यायालय की जा सकती है।

<u>न्यायिक अवेक्षा</u> - कुछ तथ्य जैसे प्रसिद्ध सुप्रतिष्ठित (Well-established) होते हैं, उनके अस्तित्व को साबित करना जरूरी नहीं रह जाता। न्यायालय उनके अस्तित्व का स्वयंमेव संज्ञान (Congnizence) ले लेता है। इसे न्यायिक अवेक्षा कहते हैं।

धारा 57 में वर्णित किसी तथ्य का अस्तित्व प्रश्नगत हो जाता है तो जो पक्षकार उसके अस्तित्व या अनस्तित्व को प्रतिपादित करता है उसको उसकी विषय में साक्ष्य देना आवश्यक नहीं। न्यायालय स्वयं समुचित सामग्री का सहारा लेता हुआ यदि उसका निजी ज्ञान उसका सहायक नहीं हो पाता, उक्त प्रश्न पर निर्णय लेगा और यदि वह ऐसा करना उचित समझे तो वह पक्षकारों को सहायता करने के लिये कह सकता है किन्तु इस प्रकार की मांगों में वह साक्ष्य नियमों से आबद्ध नहीं होगा। वह ऐसे स्रोत का सहारा ले सकता है जिससे उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। वह किसी ऐसे ग्रन्थ का अवलोकन कर सकता है जो उसे सुगमता से जानकारी दे सके। या स्वयं साधन कर सकता है।

न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी होगी न्यायालय भारत राज्य में प्रवृत्त समस्त विधियाँ,

(१) यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेन्ट द्वारा पारित किये जाने वाले ऐक्ट और पब्लिक ऐक्ट स्थानीय और पर्सनल ऐक्ट जिनके बारे में यूनाइटेड किंगडम के की पार्लियामेन्ट ने निर्दिष्ट किया है कि उसे न्यायिक अवेक्षा की जाये।

भारतीय नौसेना, वायुसेना और सेना कानून नियमावली।

यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेन्ट की भारत की संविधान सभा की स्वीकृति की किसी प्रान्त या, राज्य मे तत्समय प्रवृत्त विधियों के अधीन स्थापित विधानमण्डलों की कार्यवाही के अनुक्रम,

ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैण्ड की यूनाइटेड किंगडम के तत्समय प्रभु का राज्यारोहण और राजहस्ताक्षर,

वे सब मुद्राएं जिन्हें अंग्रेजी न्यायालय है उसे सब न्यायिक अवेक्षा करते हैं भारत के सब न्यायालयों की और केन्द्रीय सरकार या यूनाइटेड रिप्रेजेन्टेटिव के प्राधिकारी या भारत के बाहर स्थापित सब न्यायालय की मुद्राएं नावधिकरण और समुद्रीय अधिकारिता वाले न्यायालयों और नोटरीज पब्लिक की मुद्राएं और सब मुद्राएं जिनका कोई व्यक्ति संविधान या यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेन्ट की किसी ऐक्ट या भारत में विधि का बल रखने वाले अधिनियम या विनियम द्वारा उपयोग करने के लिये प्राधिकृत है। किसी राज्य के पदारोहण हस्ताक्षर ऐसे पद पर नियुक्ति या किसी शासकीय राजपत्र मे अधिसूचित किया गया हो